संख्या-06/2022/।/132355/2022/71-4002(002)/1/2021-4-

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 खनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत संचालित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हेतु गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2462/ई0/यू0पी0यू0एम0एस0/2021-22 दिनांक 29-11-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लखाशीर्षक-2210-05-105-03-0331- रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेंज, सैफई, इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत सचालित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में निम्नलिखित तालिका के कालम-3 में उल्लिखित प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तालिका के कालम-5 में उल्लिखित धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	संस्था का नाम		वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि (रू0 लाख में)	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि (रू0 लाख में)	अवमुक्त किये जाने हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	2		3	4	5
1	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट				
	राजस्व	20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)	1200.00	200.00	200.00
		कुल	1200.00	200.00	200.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(i) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 के प्रस्तर-2(5) में उल्लिखित प्राविधानानुसार विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि यदि अवशेष है, तो इसका पहले समायोजन करने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जायेगा तथा समायोजन का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(iii) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(iv) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-2/2021/बी-1-347/दस-2021-16-94, दिनांक 10.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

4- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हेतु वित्त विभाग द्वारा दिये गये यू0ओ0 संख्या-ई-3-3410-दस-2021-22 दिनांक 24-12-2021 के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।

भवदीय

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
8- नोडल ऑफिसर/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in